राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.( )स्थाई/विधि/पंरा/2011/1208 जयपुर,दि0 14.7.2011

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत स्थाई समिति को विभिन्न कार्य व शक्तियां दी गई हैं ।

पंचायती राज अधिनियम की धारा 55(क), 56 एवं 57 अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था निम्न प्रकार 5 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान हैः–

1. प्रशासन एवं स्थापन
2. वित्त एवं कराधान
3. उत्पादन कार्यक्रम जैसे कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग एवं अन्य सम्बन्धित विषय
4. शिक्षा
5. ग्रामीण जलप्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामदान, संचार, कमजोर वर्गों का कल्याण एवं सम्बद्ध सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय
6. ग्रामीण विकास स्थायी समिति (आदेश दिनांक 29.8.2003 को विकास योजनाओं की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित)

दिनांक 2.10.2011 से पंचायती राज संस्थाओं को निम्न विभागों के कार्य, कर्मचारी और कोष प्रथम चरण में हस्तान्तरित किए गए हैं–

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

2. महिला बाल विकास विभाग

3. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

4. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

5. कृषि विभाग

दिनांक 11.3.2011 को जारी राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 9(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि " अन्तरित क्रियाकलाप ", पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उसकी स्थायी समितियों के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। नियम 9(2) अनुसार केवल वार्षिक बजट, वार्षिक योजना और वार्षिक कार्य योजना सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। शेष कार्य स्थायी समिति ही सम्पादित करेगी। नियम 9(4) अनुसार स्थायी समितियों द्वारा लिए गए समस्त विनिश्चय ग्राम सेवक/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित साधारण सभा की आगामी बैठक में रखे जाएंगे। नियम 9(5) अनुसार स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णय पंचायती राज संस्थाओं के निर्णय माने जाएंगे।

पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित क्रियाकलापों के बेहतर संचालन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर गठित स्थायी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने से ही कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सम्भव है।

स्थायी समितियों की बैठकें कब कब ?

पंचायती राज नियम 51(2) एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.3.2011 के अनुसार पंचायत की स्थायी समितियों की बैठक माह में कम से कम दो बार दिनांक 4 व 19 को आयोजित की जावें। अवकाश होने पर पूर्ववर्ती कार्य दिवस में आयोजित करें। पंचायत समिति की स्थायी समितियों की बैठक माह में कम से कम दो बार प्रत्येक माह के पहिले व तीसरे सोमवार को आयोजित की जावें। जिला परिषद की स्थायी समितियों की बैठक प्रति माह में कम से कम एक बार प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आयोजित की जावें। अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस में आयोजित की जावेगी।

संस्था	**स्थायी समितियो की संख्यां**	**बैठक हेतु निधारित दिन/दिनांक**
पंचायत	6	दिनांक 4 व 19
पंचायत समिति	6	प्रत्येक माह का पहिला व तीसरा सोमवार
जिला परिषद	6	प्रत्येक माह का दूसरा सोमवार

एक ही दिन में यभी समितियों की बैठक होना निर्धारित है, परन्तु व्यवहार में उक इिन में 2 या 3 से अधिक स्थायी समिति की बैठकें आयोजित करना कठिन होगा, इसलिए उचित होगा कि एजेंडा को ध्यान में रखते हुए 2–3 घंटे का समय प्रति स्थायी समिति निर्धारित कर बैठकें आयोजित की जावे एवं कम से कम प्रत्येक समिति की मासिक प्रगति की समीक्षा माह में एक बार अवश्य की जावे। जिला परिषद स्तर पर केवल दूसरा सोमवार ही रहने से आवश्यकता अनुसार अन्य दिवस को शेष बैठकें आयोजित की जावें।

ग्राम सेवक /विकास अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि निर्धारित बैठक की तारीख से पूर्व स्थाई समितियों का एजेंडा अध्यक्ष के साथ विचार–विमर्श कर निर्धारित करें । समय से सदस्यों को एजेंडा भेजने एवं बैठकें आयोजित करने के लिए सम्बन्धित समिति सचिव जिम्मेवार होगा।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी कोरम पूराहोने पर सदस्यों में से कोई एक सदस्य अध्यक्षता करेगा व यथा सम्भव बैठक स्थगित नहीं होगी । अधिकारीगण अपने विभाग की योजनाओं की बिन्दुवार प्रगति की जानकारी देंगे एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति गत माह के प्रगति विवरण समिति सचिव द्वारा सुनिशिचित की जावेगी ।

1. पंचायती राज संस्थाओं के लिए यह कठिन है कि एक दिन की साधारण सभा में समस्त विभागों के कार्यों की योजनाओं का परीक्षण कर अनुमोदन करें और प्रगति का पुनरीक्षण करें तथा ग्रामीण विकास के अन्य कार्यों पर भी विचार करें अतः स्थायी समितियॉ अपने सतर पर विचार कर साधारण सभा के लिए कार्य व योजनायें भी प्रस्तावित करें।
2. स्थाई समितियों के सदस्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी लेकर जनता को लाभ दिलाने में सहायक बनेंगे।
3. प्रत्येक स्थाई समिति सुपुर्द किए गए विभागों के समस्त कार्यों का पुनरीक्षण करने व निर्देश देने के लिए अधिकृत है।
4. जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर/ग्राम पंचायत स्तर के संबंधित विभाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति विभाग के कार्य व योजनाओं की रिपोर्ट के साथ, चर्चा हेतु आवश्यक होगी ।
5. किसी अधिकारी या कर्मचारी के बिना उचित कारण अनुपस्थित होने पर जिला परिषद की स्थापना समिति को नियमानुसार अनुशासनिका कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवायें ।

निरीक्षण करने की शक्ति

(अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 12(6) अनुसार पंचायती राज संस्थाओं या उनकी स्थायी समिति के अध्यक्ष किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ किसी विभाग के कार्यालय या संस्थान का निरीक्षण कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रमुख के भ्रमण के एक साल में 240 दिन कर दिए हैं और वाहन भी स्वीकृत किया है। इसी प्रकार प्रधान के भ्रमण के एक साल में 120 दिन कर दिये हैं और वाहन भी स्वीकृत किया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी समिति के अध्यक्षों को भी माह में 2 दिन वाहन देकर निरीक्षण करावें एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

स्थानान्तरण की शक्ति

हस्तान्तरित की गई गतिविधियों से जुडे विभिन्न विभागों क`हस्तान्तरित अधिकारियो / कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकार

1. एक पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारियों के एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति की प्रशासन स्थाई समिति में निहित हांगे।
2. जिला परिषद क्षेत्र की एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापन स्थाई समिति में निहित होंगे।
3. किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का स्थनान्तरण दो साल के कार्यकाल से पूर्व नहीं किया जाएगा। 2 साल से पूर्व स्थानान्तरण करने की दशा में पंचायत समिति को जिला परिषद से और जिला परिषद को राज्य सरकार से पुर्व अनुमति लेनी होगी।

अनुशासनात्मक कार्यवाही की शक्ति

हस्तान्तरित स्टॉफ के लिए सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की शक्तियां जिला परिषद की जिला स्थापना समिति को दी गई हैं जिसमें जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित एक अधिकारी होता है। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 2.10.2010 द्वारा लघु शास्ति लगाये जाने की शक्ति दी गई है। इसमें परिनिन्दा, आर्थिक हानि की वसूली, दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति शामिल है। लघु शास्ति के लिए कारण बताओं नोटिस दे कर, सुनवाई का अवसर देने के बाद दोषी पाये जाने पर लघु शास्ति लगाई जा सकती है। पंचायत समिति या जिला परिषद की प्रशासन व स्थापन स्थायी समिति आरोप बताते हुए अपनी अनुशंसा जिला स्थापना समिति को भेजेगी।

पंचायत स्तर की स्थायी समितियों के कार्य

क. <u>प्रशासन स्थाई समिति</u>

सरपंच इसका अध्यक्ष होता हैं। अन्य 4 समितियों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते है। पूरी पंचायती राज संस्था के जनहित में निर्णय, नीति निर्धारण, प्रशासनिक फैसले, व अन्य कार्य यह समिति करती है।

1. म्यूटेशन– तहसीलदार की तरह शक्ति है। नामान्तरण पेश करने के 30 दिन में पंचायत तस्दीक करे वरना तहसीलदार करेगा। उत्तराधिकारी पुत्रियों के नाम दर्ज करना न भूलें। स्टाम्प पर पुत्रियों के सरेंडर डीड अवश्य लेवें यदि पुत्रियां अधिकार नहीं चाहतीं। रजिस्ट्री से बेचान हो तो कब्जा प्राप्त करने का सत्यापन करना न भूलें। गोदनामा हो तो गवाहों के सत्यापन के बाद ही प्रमाणित करें।
2. रास्ते खुलवाना– पटवारी के नकशे अनुसार माप कराने के आधार पर ही खेतों के रास्ते तय करें।

4.खेतों के सीमा विवाद निपटाना– पटवारी के नकशे अनुसार माप कराने के आधार पर ही विवाद तय करें।

5.अतिक्रमण हटवाना – पंचायती राज अधिनियम की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर थाने से ले सकते हैं। अनाधिकृत कब्जा पंचायत हटाएगी पा यदि कोई शान्ति भंग करेगा तो पुलिस सहायता करेगी।

5. आबादी भूमि का आवंटन– निमानुसार नीलामी से डी.एल.सी दर या उससे अधिक दर पर ही बेचान होगा।
6. पुराने मकानों के पट्टे जारी करना – निर्मित भवन के अलावा रिक्त पडी भूमि की पट्टा आपसी बात चीत से डी.एल.सी दर पर ही दे सकते हैं।
7. ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना

<u>ख. वित्त एवं करारोपण स्थाई समिति</u>

1. निजी आय से स्वीकृति
2. गर्भवती का परिवहन व्यय
3. शराब की चुंगी वसूली
4. भूमि से आय
5. चरागाह से आय
6. तहसील से चरागाह पेनल्टी और रूपांतरण राशि वसूली
7. अन्य करों एवं फीसों के प्रस्तावों पर विचार व मैचिंग शेयर
8. आय के अन्य स्रोत जैसे तालाब, फार्म, पेड, मेले, पशु खाल आदि

ग. <u>उत्पादन स्थाई समिति</u>

1. प्रशिक्षण
2. मेले
3. कृषि यन्त्र
4. अनुदान पर कृषि यन्त्रों का आदान
5. जिप्सम वितरण
6. कृषि अभियान शिविर
7. कृषक भ्रमण

8. महिला सशक्तिकरण
9. फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण
10. नवाचार कायक्रम
11. मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम
12. सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन
13. जैविक खेती प्रबन्धन
14. लघु सिंचाई एवं मत्स्य पालन के तालाब
15. जलग्रहण विकास कार्यक्रम

<u>घ. शिक्षा स्थायी समिति</u>

1. अध्यापकों की नियमित उपस्थिति
2. नामांकन प्रतिशत एवं ठहराव
3. ग्रामीण खेलकूद
4. अभिभावक अध्यापक सामंजस्य से स्कूल व्यवस्था में सुधार
5. निशुल्क पाठय पुस्तक वितरण
6. अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग छात्र छात्राओं की छात्रवृति

च. <u>सामाजिक सेवाओं की स्थायी समिति</u>

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- स्वास्थ्य पोषण दिवस पर समस्त टीकाकरण ए.एन.एम. द्वारा सुनिश्चित करना
- गर्भवती माताओं के टीकाकरण, आयरन गोली प्रयोग, प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करना
- शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना के लाभ आशा सहयोगिनी द्वारा सुनिश्चित करना
- ग्राम स्वच्छता समिति एवं तीसरे वित्त आयोग से प्राप्त राशि से पेयजल, गन्दे पानी की निकासी, स्वच्छता, शौचालय उपयोगए बीमारी बचान के कार्य करवाना
- ए.एन.एम व आशा सहयोगिनी का प्रशासनिक नियन्त्रण

2. महिला एवं बाल विकास विभाग

- आंगनवाडी बराबर खुले व आंगनवाडी कार्यकर्ता मौजूद रहे
- आंगनवाडी केंन्द्र पर प्रदत्त की जाने वाली 6 सेवाओं क्रमश ; पूरक पोषाहार , शाला पूर्व शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवा सुनिश्चित करना।
- आंगनवाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी का ग्राम सभा से चयन कराना
- आंगनवाडी का स्थान तय करना या किराए दिलाना
- नवजात शिशुओं का वजन कराकर अति कुपोषित बच्चों का उपचार सुनिश्चित करना

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

- विकलांगों का चिन्हीकरण

- असहाय वृद्ध, विकलांग, विधवा के पेंशन फार्म तैयार करवाकर स्वीकृति हेतु पचायत समिति के विकास अधिकारी को भेजना
- पालनहार योजना हेतु निराश्रित बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण कर सिफारिश करना
- सहयोग योजना हेतु बी.पी.एल. परिवार की 2 पुत्रियों तक की शादी हेतु अनुदान दिलाना
- विधवा महिला की पुत्री के विाह पर अनुदान दिलाना
- आस्था योजना में 2 विकलांग सदस्य होने पर बी.पी.एल. की सुविधाएं दिलाना

छ. ग्रामीण विकास स्थायी समिति

- महानरेगा, बी.आर.जी.एफ., राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग, निर्बन्ध राशि, हस्तान्तरित विभागों की योजना राशि के ग्राम सभा से पारित वार्षिक योजना अनुसार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना

पंचायत समिति स्तर की स्थायी समितियों के कार्य

क. प्रशासन स्थाई समिति

1. पंचायत के फैसलो की अपीलों की सुनवाई
2. पंचायती राज विभागं एवं हस्तान्तरित विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशासनिक नियन्त्रण
3. कार्य के प्रति लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही
4. पंचायत समिति के भीतर एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानान्तरण
5. जिला परिषद द्वारा चयनित कर्मचारियों की नियुक्ति
6. प्रशासनिक मामले

ख.वित्त एवं करारोपण स्थाई समिति के कार्य

1. पंचायत की निजी आय से 4 लाख तक की स्वीकृति
2. करों एवं फीसो की वसूलीं व मैचिंग शेयर

ग.उत्पादन स्थाई समिति के कार्य

1. प्रशिक्षण
2. मेले
3. कृषि यन्त्र
4. महिला सशक्तिकरण
5. फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण
6. नवाचार कायक्रम
7. मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम
8. सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन
9. जैविक खेती प्रबन्धन
10. लघु सिंचाई एवं मत्स्य पालन के तालाब

11. जलग्रहण विकास के कार्यक्रम

घ. शिक्षा स्थायी समिति के कार्य

1. संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण
2. पंचायत समिति स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के पर्यवेक्षण हेतु कार्यरत ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ समस्त स्टाफ,
3. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उसमें कार्यरत अध्यापक सम्बन्धित पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे।
4. पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी और दौरे प्रशासन

स्थायी समिति के सामान्य पर्यवेक्षण और मानीटरी में विकास अधिकारी मंजूर एवं नियन्त्रित करेंगे।

कार्य

1. शालाओं का निरीक्षण
2. नामांकन प्रतिशत एवं ठहराव
3. अध्यापकों की नियमित उपस्थिति
4. शिक्षा की गुणवत्ता
5. निशुल्क पाठय पुस्तक वितरण
6. छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था
7. पाठन सामग्री व्यवस्था
8. अध्यापकों का समानीकरण
9. अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग छात्र छात्राओं की छात्रवृति
10. शिक्षा उप कर की वसूली एवं स्कूल सामग्री व्यवस्था
11. सामान्य पर्यवेक्षण

च. सामाजिक सेवाओं की स्थायी समिति

(क)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1. ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी पंचायत समिति के अधीन कार्य सम्पादित करेंगे।
2. चकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के सभी उप केंद्र, एडपोस्ट, अपग्रेडेड सब सेंटर, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मय स्टाफ पंचायत समिति के अधीन कार्य करेंगे।
3. उनकी उपस्थिति, छुट्टी और दौरे विकास अधिकारी द्वारा मंजूर और नियन्त्रित किए जाएंगे।
4. पंचायत समिति के प्रधान या सामाजिक अधिकारिता स्थायी समिति के अध्यक्ष किसी अधिकृत अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,उप–स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होगे एवं जो कमियां पाई जावें , उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश/ सुझाव अधिकारियों / विभाग को प्रेषित करेंगें।

5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी वार्षिक बजट, वार्षिक योजना एवं वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार कर पंचायत समिति से अनुमोदित कराने के बाद ही उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजेंगे ।

6. पंचायत समिति क्षेंत्र में नवीन चिकित्सा संस्थान खोलने के प्रस्ताव पंचायत समिति से अनुमोदन कराने के बाद ही जिला मुख्यालय को प्रेषित किए जा सकेंगे।

7. चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन पंचायत समिति की अनुशंसा पर होगा। भूमि चयन के समय यह देखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र के निवासी सुगमता से वहा पहुंच सकें तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित हो ।

हस्तान्तरित कार्य

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
3. गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव सेवाएं
4. परिवार कल्याण सेवाएं
5. क्षेत्र विशेष में मौसमी बीमारियों के बचाव , नियन्त्रण एवं बचाव की सेवाएं
6. सूचनाओं का संग्रहण , संकलन एवं सम्प्रेषण
7. स्वास्थ्य शिक्षा
8. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की गतिविधियों का सम्पादन
9. रेफरल सेवाएं
10. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों का संचालन
11. मूलभूत जांच सेवाएं
12. स्थानीय दाई , आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण

ख. महिला एवं बाल विकास विभाग

संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण

1 बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक अपना समस्त कार्य पंचायत समिति के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न करेंगे।

2 पोषाहार के भण्डारण का कार्य परियोजना स्तर पर कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के नियन्त्रण में किया जावेगा।

3 प्रचेता द्वारा अपना कार्य कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत समिति के अधीन रहते हुए सम्पन्न किया जावेगा।

विभागीय कार्यकलाप

1 पोषाहार के भण्डारण का कार्य परियोजना स्तर पर कार्य बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के नियन्त्रण में किया जावेगा।

2 प्रचेता द्वारा अपना कार्य कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत समिति के अधीन रहते हुए सम्पन्न किया जावेगा।

3 आंगनवाडी केंन्द्र पर प्रदत्त की जाने वाली 6 सेवाओं क्रमश ; पूरक पोषाहार , शाला पूर्व शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रैफरल सेवा का पर्यवेक्षण।

1 कुपोषण निवारण हेतु कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण

2 घरेलू हिंसा , बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक गतिविधियों का संचालन

3 किशोरी बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम का पर्यवेक्षण

4 महिला स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज

5 महिला अधिकारिता कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण

6 महिला अधिकारिता परियोजना का संचालन एवं पर्यवेक्षण

घ. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. अनुसूचित जाति, जन जाति छात्रावासों का संचालन
2. विकलांग एवं कोढ पीडित छात्रों की छात्रवृति
3. अन्तर्जातीय विवाह कैम्प
4. विकलांगों के विवाह परिचय सम्मेलन हेतु कैम्प
5. गाडिया लुहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना
6. पालनहार योजना हेतु निराश्रित बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण कर सिफारिश करना
7. सहयोग योजना हेतु बी.पी.एल. परिवार की 2 पुत्रियों तक की शादी हेतु अनुदान दिलाना
8. विधवा महिला की पुत्री के विाह पर अनुदान दिलाना
9. आस्था योजना में 2 विकलांग सदस्य होने पर बी.पी.एल. की सुविधाएं दिलाना

छ. ग्रामीण विकास स्थायी समिति

- महानरेगा, बी.आर.जी.एफ., राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग, निर्बन्ध राशि, हस्तान्तरित विभागों की योजना राशि के स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना

जिला परिषद स्तर की स्थायी समितियों के कार्य

क. प्रशासन स्थाई समिति

1. जिले में पंचायत सेवा के रिक्त पदों पर चयन
2. उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता का परीक्षण कर सूची जारी करना
3. जिला स्थापना समिति में हस्तान्तरित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध लघु दण्ड के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करना
4. एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण
5. प्रशासनिक मामले

ख.वित्त एवं करारोपण स्थाई समिति के कार्य

1. राज्य सरकार के आदेशानुसार खनिज विभाग की रायल्टी, राजस्व विभग की पेनल्टी राशि, आबकारी के दुकानों की बिक्री का प्रतिशत, वन विभाग से तेंदू पत्ता व लघु वन उपज की आय, डी.टी.एछ टॉवर का मनोरंजन कर पंचायतों को दिलाना
2. ग्रामीण क्षेत्र की रजिस्ट्रीयों की स्टाम्प डयूटी का 10 प्रतिशत सरचार्ज
3. मण्डी शुल्क का एक प्रतिशत सरचार्ज

ग.उत्पादन स्थाई समिति के कार्य

1. प्रशिक्षण
2. मेले
3. कृषि यन्त्र
4. अनुदान पर कृषि आदानों का वितरण
5. जिप्सम वितरण
6. कृषि अभियान शिविर
7. कृषक भ्रमण
8. महिला सशक्तिकरण
9. फसलों में कीट व्याधि महामारी का नियन्त्रण
10. नवाचार कार्यक्रम
11. मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम
12. सन्तुलित व समन्वित उर्वरक प्रबन्धन
13. जैविक खेती प्रोत्साहन
14. मत्स्य पालन के तालाब
15. जलग्रहण विकास के कार्यक्रम

घ. शिक्षा स्थायी समिति

1. रिक्त पदों को भरना
2. अध्यापकों का समानीकरण
3. समस्त शाला कार्यों का पर्यवेक्षण

च. सामाजिक सेवाओं की स्थायी समिति

1. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

प्रशासनिक नियन्त्रण

1. जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य)/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी एवं उनके कार्यालय के अन्य कर्मचारी जिला परिषद के अधीन कार्य सम्पादित करेंगे।
2. उपरोक्त अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों की वार्षिक योजनाएं जिला परिषद से अनुमोदित करवाकर राज्य सरकार को भेजेंगे।
3. उनकी उपस्थिति, छुट्टी और दौरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मंजूर और नियन्त्रित किए जाएंगे।
4. जिला परिषद प्रमुख एवं स्थायी समिति के अध्यक्ष किसी अधिकृत अधिकारी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,उप–स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिकृत होगे एवं जो कमियां पाई जावें , उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश/ सुझाव अधिकारियों / विभाग को प्रेषित करेंगें।
5. नवीन चिकित्सा संस्थान खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद से अनुमोदन कराने के बाद ही राज्य सरकार को प्रेषित किए जा सकेंगे।
6. जन स्वास्थ्य की समस्याओं एवं मौसमी बीमारियों के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा

ख. महिला एवं बाल विकास विभाग
संस्थाएं एवं स्टाफ का नियन्त्रण

1 बाल विकास परियोजना अधिकारी का नियन्त्रण उप–निदेशक महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जिला परिषद के पास रहेगा।

2 महिला बाल विकास प्रधिकरण जिला परिषद में समाहित होगा।

3 उप निदेशक तथा कार्यक्रम अधिकारी मय अभिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग स्टाफ के जिला परिषद के अधीन कार्य करेंगे।

4 महिला अधिकारिता कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण

5 जिला स्तर पर सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन एवं पर्यवेक्षण

ग. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवाओं की पुत्रियों की पुत्रियों के विवाह पर अनुदान योजना
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम
3. विधवा पुनर्विवाह योजना

4. सहयोग योजना
5. विधवा पुनर्विवाह योजना
6. डे–केयर सेंन्टर
7. गाडिया लौहारों को भवन निर्माण हेतु सहायता
8. पालनहार योजना
9. पन्नाधाय योजना
10. निःशक्तों हेतु खेलकूद कार्यक्रम
11. विशेष पिछडा वर्ग हेतु देवनारायण योजना का क्रियान्वयन
12. शिशु गृहों का संचालन
13. महिला सदन, किशोर गृह, नारी निकेतन संचालन
14. नशा मुक्ति कार्यक्रम नशा मुक्ति कार्यक्रम

छ. ग्रामीण विकास स्थायी समिति

- महानरेगा, बी.आर.जी.एफ., राज्य वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग, निर्बन्ध राशि, हस्तान्तरित विभागों की योजना अनुसार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना

वित्तीय प्रावधान

स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने पर साधारण बैठक के समान दैनिक भत्ता व यात्रा व्यय देय हैं । एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने पर प्रति बैठक अलग अलग बैठक भत्ता ले सकते हैं। सामान्यतः बैठक भत्ता निजी आय से दिया जाएगा परन्तु उस मद में राशि उपलब्ध न होने पर निर्बन्ध राशि के मद से दिया जा सकेगा।

बैठक भत्ता	(2.10.2009 से प्रभावी)	दैनिक भत्ता
1. वार्ड पंच	75/–रूपए प्रति बैठक	....
2. सरपंच	45/– रूपए प्रति बैठक	65/–
3. सदस्य, पंचायत समिति	100/– रूपए प्रति बैठक	110/–
4. प्रधान पंचायत समिति	45/– रूपए प्रति बैठक	130/–
5. सदस्य, जिला परिषद	125/– रूपए प्रति बैठक	140/–
6. प्रमुख, जिला परिषद	60/– रूपए प्रति बैठक	150/–

रेल/बस की यात्रा मिलाने के कारण अधिक ठहरना पड़े तो एक दैनिक भत्ता देय होगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त